(27)

न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी

निगरानी 1535-7-15

1. मैमूदीन पाल, आयु 65 साल,
2. हरप्रसाद पाल, आयु 60साल,
3. महाप्रसाद पाल, आयु 58 साल,

समस्त पुत्रगण चुनवदिया गडरिया, निवासी ग्राम सीलप, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म0प्र0)

––प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण

विरूद्ध

सबलसिंह पुत्र कामतासिंह, आयु 60 साल, निवासी चमराहा, तहसील व जिला बांदा (उ0प्र0)

––अनावेदक/गैरनिगरानीकर्त्ता

निगरानी आधीन धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय, लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 6/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनाक 01.06.2015 से दुखित होकर।

महोदय,

सेवा में प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्तागण निम्नलिखित निगरानी आवेदनपत्र सादर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, भूमि खसरा नं.417 रकवा 1.461 हेक्टेयर मौजा सीलप, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि आवेदकगण के पिता चुनवदिया

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1535-एक/2015 जिला - छतरपुर मैयादीन विरूद्ध सबल सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक मैयादीन की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक सबल सिंह की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के प्रकरण क्रमांक 06/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 01-06-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-06-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का	

20.12.18

निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित आ ..ख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

20.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य